रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17102020-222527
CG-DL-E-17102020-222527

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 521] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 16, 2020/आश्विन 24, 1942
No. 521] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 16, 2020/ASVINA 24, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 2020

सा.का.नि. 641(अ).—प्रारूप नियम अर्थात् परिसंकटमय और अन्य अवशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) नियम, 2020, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 03 फरवरी, 2020 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 77(अ), तारीख 31 जनवरी, 2020 द्वारा उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि की समाप्ति से पहले आपेक्ष और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किए गए थे ;

और, उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां 03 फरवरी, 2020 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और, उक्त प्रारूप नियमों की बाबत् जनता से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है ;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसंकटमय और अन्य अवशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परिसंकटमय और अन्य अवशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) नियम, 2020 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिसंकटमय और अन्य अवशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) नियम, 2016 के नियम 5 के उपनियम (2) के खंड (क), खंड (ग) और खंड (घ) के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"(क) परिसंकटमय अपशिष्टों के उत्पादन, हथालन, एकत्रीकरण, प्राप्ति, शोधन, परिवहन, भंडारण, पुन: उपयोग, पुनर्चक्रण, पुन: प्राप्ति, पूर्व-प्रसंस्करण, सह-प्रसंस्करण सहित उपयोग और निपटान में शामिल श्रमिकों की मान्यता और रजिस्ट्रीकरण सुनिश्चित करना;

(ग) परिसंकटमय अपशिष्टों के उत्पादन, हथालन, एकत्रीकरण, प्राप्ति, शोधन, परिवहन, भंडारण, पुन:उपयोग, पुनर्चक्रण, पुन:प्राप्ति, पूर्व-प्रसंस्करण, सह-प्रसंस्करण सहित उपयोग और निपटान में शामिल श्रमिकों के लिए औद्योगिक कौशल विकास कार्यकलाप आरंभ करना;

(घ) वार्षिक मानीटरी करना और परिसंकटमय अपशिष्टों के उत्पादन, हथालन, एकत्रीकरण, प्राप्ति शोधन, परिवहन, भंडारण, पुन:उपयोग, पुनर्चक्रण, पुन:प्राप्ति, पूर्व-प्रसंस्करण, सह-प्रसंस्करण सहित उपयोग और निपटान में शामिल श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना ।"

[फा. सं. 23/67/2018-एचएसएम]

गीता मेनन, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 395(अ), तारीख 4 अप्रेल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. संख्यांक 670(अ), तारीख 6 जुलाई, 2016; सा.का.नि. संख्यांक 177(अ), तारीख 28 फरवरी, 2017, सा.का.नि. संख्यांक 544(अ), तारीख 11 जून, 2018 तथा सा.का.नि. संख्यांक 178(अ), तारीख 01 मार्च, 2019 द्वारा संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2020

G.S.R. 641(E).—Whereas the draft rules, namely the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Amendment Rules, 2020, were published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 77(E), dated the 31st January, 2020 in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 3rd February, 2020 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS the copies of the said Gazette containing the said notification were made available to the public on the 3rd day of February, 2020;

AND WHEREAS the objections and suggestions received within the specified period from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

IndiaCode

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016, namely:-

1. (1) These rules may be called the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Amendment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016, in rule 5, in sub-rule (2), for clauses (a), (c) and (d), the following clauses shall respectively be substituted, namely:-

"(a) ensure recognition and registration of workers involved in generation, handling, collection, reception, treatment, transport, storage, reuse, recycling, recovery, pre-processing, utilisation including co-processing and disposal of hazardous wastes;

(c) undertake industrial skill development activities for the workers involved in generation, handling, collection, reception, treatment, transport, storage, reuse, recycling, recovery, pre-processing, utilisation including co-processing and disposal of hazardous wastes;

(d) undertake annual monitoring and to ensure safety and health of workers involved in generation, handling, collection, reception, treatment, transport, storage, reuse, recycling, recovery, pre-processing, utilisation including co-processing and disposal of hazardous wastes.".

[F. No. 23/67/2018 - HSM]]

GEETA MENON, Jt. Secy.

IndiaCode

Note. - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 395(E), dated the 4th April, 2016 and subsequently amended vide number G.S.R. 670(E), dated the 6th July, 2016; number G.S.R. 177(E), dated the 28th February, 2017; number G.S.R. 544(E), dated the 11th June, 2018; and number G.S.R. 178 (E), dated the 1st March, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2020.10.17 10:30:09 +05'30'